स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
शक्तियों का प्रत्यायोजन
(1.3.1995 से प्रभावित)

अनुसूची – ए (2): व्यापार और व्यवसाय मामले (क्षेत्र / शाखाऐं)

प्राधिकारी	**शक्तियों का विस्तार**	**टिप्पणियाँ**

----

1. **सरणीबद्ध आयात / निर्यात सरकारी लेखे पर व्यापार सहित**
   शून्य
2. **असरणीबद्ध निर्यात – एसोसिएट से बैक अप ऑफर्स आधार पर ऑफर्स करने / व्यवसाय सम्पन्न करने हेतु**

आर एम	रूपए 10 करोड़ तक
बी एम	रूपए 3 करोड़ तक
सी एम एम	रूपए 2 करोड़ तक
एम एम	रूपए 1 करोड़ तक

नोट:- शाखा प्रबंधक एसटीसी, अहमदाबाद को अरण्डी का तेल के निर्यात हेतु वर्धित शक्तियाँ

शाखा प्रबंधक एसटीसी, अहमदाबाद केवल अरण्डी के तेल के निर्यात के संबंध में रूपए 5 करोड़ तक शक्तियों का प्रयोग करेगे । एसटीसी पर किसी प्रकार के दावे से बचने के लिए निर्यात संविदाओं और बैक संविदाओं में उपयुक्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे । पखवाड़ा रिपोर्ट वित्त / सीएमडी को भेजी जाएगी ।

3. **असरणीबद्ध निर्यात – एसोसिएट से बैक अप ऑफर्स या स्वदेशी खरीद आदेश या बैक अप स्टॉक्स के बिना ऑफर्स करने / व्यवसाय सम्पन्न करने हेतु**

आर एम	रूपए 3 करोड़ तक (2)
बी एम (एमएम रैंक से नीचे नहीं)	रूपए 1.5 करोड़ तक (2)
बी एम (एम एम से नीचें नहीं)	रूपए 25 लाख तक

वस्तु हेतु किसी समय बकाया

4. अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार तटेतर व्यापार

शून्य

5. क. असरणीबद्ध आयात / बिक्रियाँ (1)

आर एम रूपए 1 करोड़ तक) अनुसूची के भाग के रूप में टिप्पणियों की क्रम संख्या 2 की टिप्पणी के अधीन और सम्पूर्ण लाभप्रदत्ता के अधीन

बी एम रूपए 50 लाख तक)

ख. **काजू का संसाधन – संसाधन हेतु कच्चे बादाम की स्वदेशी खरीद / आयात**

आर एम,मुम्बई	पूर्ण शक्तियाँ	मालसूची का कुल मूल्य किसी भी समय रूपए 5 करोड़ से अधिक न हो । प्रस्ताव बीएसी के माध्यम से आरएम के समकक्ष प्रस्तुत किए जाऐं ।

ग. **अरण्डी के बीजों का संसाधन – प्रापण और क्रशिंग (4) से संबंधित सभी मामले**

समिति जिसमें आरएम मुम्बई, मु. वित्त प्रबं.या महा प्रबंधक(वित्त) मुम्बई, बीएम, अहमदाबाद शामिल हैं ।	पूर्ण वित्तीय शक्तियाँ)	किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 10,000 मी.टन की अधिकतम मात्रा के अधीन

- घ. **सोना/ चाँदी में व्यवसाय सौदे, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवसाय सम्पन्न करना और स्थानीय पार्टियों को बिक्री**

एसटीसी, अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, कोचीन, बंगलौर और जालंधर के शाखा प्रबंधक, संबधित एसोसिएट वित्त के साथ	रूपए 10 करोड़ तक प्रति सौदा किन्तु किसी भी समय मूल्य किसी एक खरीददार हेतु रूपए 10 करोड़ से अधिक न हो तथा रूपए 10 करोड़ से अधिक की कोई खरीद किसी दिन यदि हो तो उसके लिए कार्पोरेट कार्यालय के सोना/चाँदी आयात	सर्राफा का आयात समय – समय पर कार्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार किया जाएगा । शक्तियों का प्रत्यायोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और किसी भी

समिति का पूर्व अनुमोदन लेना होगा ।

मामले में व्यवसाय की परिणति एसटीसी को हानि के रूप में नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक सम्पन्न हुए व्यवसाय और की गयी बिक्री का पूर्ण विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा समीक्षा और सूचना हेतु कार्पोरेट कार्यालय को तत्काल भेजी जानी चाहिए।

- **परिपत्र संख्या 168 दिनांक 7.1.2001, 180 दिनांक 7.11.01 और 184 दिनांक 24.2.2003 द्वारा जोड़ा गया ।**

6. घरेलू रूप से मदों की खरीद / बिक्री

आर एम	रूपए 3 करोड़ तक (2)
बी एम (एमएम रैंक से नीचे नहीं)	रूपए 1.5 करोड़ तक (2) सम्पूर्ण लाभप्रदत्ता के अधीन (1)
बी एम (एम एम से नीचे नहीं)	रूपए 1 करोड़ तक (2)

7. क. आयातित कारों की खरीद

बी एम/ सीएमएम	पूर्ण शक्तियाँ	विदेशी मामलों के मंत्रालय द्वारा निधारित मार्गनिदेशों के अनुसार

ख. आयातित कारों की बिक्री जिसमें हानि न हो

बी एम/ सीएमएम पूर्ण शक्तियाँ

ग. आयातित कारों की बिक्री जिसमें हानि हो

शून्य

8. निर्यात जिनमें हानि हो

शून्य

9. क्षतिग्रस्त / खराब / अधिशेष स्टॉक की बिक्री

आर एम	पूर्ण शक्तियाँ	निम्नलिखित के अधीन:-
बी एम	रूपए 3 करोड़ तक) खुली निविदाओं के मामले में (बिक्री मूल्य)	– स्टॉक निदेशक द्वारा अधिशेष के रूप में अनुमोदित हो या सर्वेक्षकों द्वारा क्षतिग्रस्त/ खराब सत्यापित हों
	रूपए 10 लाख तक सीमित निविदाओं के मामले में (बिक्री मूल्य)	- अधिशेष स्टॉक की बिक्री में खरीद कीमत पर कोई हानि न हुई हो ।
		-बिक्री उच्चतर निविदाकर्ता को की गयी हो ।
		- सरकारी लेखे पर रखे गए स्टॉकों हेतु सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार।

10. **व्यापार मार्जिन को सुनिश्चित करना**

आर एम	पूर्ण शक्तियॉं	अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार

11. निर्यात नमूनों पर खर्चे

आर एम	रूपए 20 हजार तक
बी एम	रूपए 10 हजार तक

12. भारत में आपूर्तिकर्ताओं का नामांकन / रद्दीकरण

बी एम	पूर्ण शक्तियॉं	अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार

13. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का नामांकन / रद्दीकरण

आर एम	पूर्ण शक्तियॉं	अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार

14. भारत या विदेश में विक्रय एजेंटों की नियुक्ति / रद्दीकरण और कमीशन का भुगतान

क. सौदा-दर-सौदा आधार पर

बी एम पूर्ण शक्तियॉं) विदेशी कमीशन आरबीआई मार्गनिदेशों के अनुसार

ख. सुनिश्चित अवधि आधार पर (एकल विक्रय एजेंटों के अलावा)

आर एम	भारत में किसी समय 3 वर्षों तक	कमीशन बगैर किसी दावे के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति के पश्चात अदा किया जाएगा ।

15. क. शीपिंग, हैण्डलिंग, परिवहन, पैकिंग, बैगिंग, फारवर्डिंग, क्लीयरिंग, सर्वेक्षण, स्टीवडरिंग, समुद्री भाड़ा बुकिंग, दावा वसूली, संसाधन, टीनिंग, परीक्षण, श्रम आदि हेतु एजेंटों / ठेकेदारों की नियुक्ति और इस प्रकार की व्यवस्थाओं का रद्दीकरण ।

आर एम	भारत में किसी समय 3 वर्षों तक
बी एम	भारत में किसी समय 2 वर्षों तक

ग. संविदा की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त (ए) के अधीन एजेंटों / ठेकेदारों को भुगतान ।

बी एम	पूर्ण शक्तियॉं
एम एम	रूपए 1 लाख तक
डी एम एम	रूपए 50 हजार तक

16. क. की गयी ऑफर्स के अनुसार संविदाओं पर हस्ताक्षर करना ।

ख. की गयी ऑफर्स या हस्ताक्षर की गयी संविदाओं के अनुसार निविदा बांड / निष्पादन बांड / क्षतिपूर्ति आदि की स्थापना ।

ग. संविदा के अनुसार खरीदार के एलसी की स्वीकृति, एलसी की सुपुर्दगी आदि ।

घ. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार अन्य संविदाओं / करारों पर हस्ताक्षर करना ।

बी एम / सीएमएम/एमएम(शाखाओं में)	पूर्ण शक्तियाँ
एम एम	रूपए 3 करोड़ तक
डी एम एम	रूपए 1 करोड़ तक

- **परिपत्र संख्या 183 दिनांक 18.12.2002 द्वारा संशोधित**

17. क. संविदाओं में संशोधन

वही प्राधिकारी जो संविदा सम्पन्न करने में सक्षम हो । पूर्ण शक्तियाँ

ख. सभी मामले शीपमेंट अवधि में विस्तार तथा बीजी प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर छूट सहित जिसमें कार्पोरेशन पर कोई वित्तीय दायता न आए ।

निदेशक (विपणन) पूर्ण शक्तियाँ

18. संविदा के अनुसार भुगतान (एलसी द्वारा भुगतान सहित)

बी एम	पूर्ण शक्तियाँ
एम एम	रूपए 3 करोड़ तक
डी एम एम	रूपए 1 करोड़ तक

19. एलसी खोलना जबकि सौदा सम्पन्न किया जा चुका हो, किन्तु औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले

आर एम	पूर्ण शक्तियाँ	संविदा की शर्तों और नियमों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन होना चाहिए ।

20. कार्पोरेशन द्वारा देय बीमा प्रीमिया, सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार, चुंगी, परिवहन प्रभार भंडारण और हैण्डलिंग प्रभार शुल्क और कोई अन्य प्रभार का भुगतान किन्तु इस अनुसूची में कहीं अन्य उल्लिखित विशिष्ट मदों को छोड़कर

बी एम	पूर्ण शक्तियाँ	बीमा कवर की व्यवस्था कार्पोरेट कार्यालय के बीमा प्रभाग द्वारा कार्पोरेट कार्यालय / शाखाओं के प्रभागों की अपेक्षाओं के अनुसार की जाएगी ।
एम एम	रूपए 1 लाख तक	
डी एम एम	रूपए 50 हजार तक	

बीमा प्रीमिया के सबंध में शाखाओं में संबंधित प्रबंधकों द्वारा शक्तियों का

प्रयोग किया जाएगा । (परिपत्र संख्या 187 दिनांक 9.12.05 द्वारा)

21. खाद्य तेलों के भंडारण हेतु कंटेनर्स की खरीद सहित व्यापार के आकस्मिक खर्चे

आर एम	पूर्ण शक्तियाँ
बी एम	रूपए 10 लाख तक

22. रूटिन क्षतिपूर्ति / गारंटी / निविदा बांड (व्यापार के आकस्मिक)

बी एम/ सीएमएम	पूर्ण शक्तियाँ	निविदा बांड सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संविदाओं / आफर्स के संबंध में ही सम्पन्न किए जाएंगे ।

23. स्वबीमा का निपटान

शून्य

24. दावों के कंपाउंडिंग / निपटान (लिक्विडेटिड क्षतियों के अलावा) जिनमें किसी कर्मचारी की लापरवाही शामिल न हो ।

आर एम पूर्ण शक्तियाँ (जहां तीसरी पार्टी से वसूली योग्य हों)

25. विलम्ब शुल्क / हानि / बचे जा सकने वाले खर्चे जो चोरी / जालसाजी / लापरवाही के कारण न हों ।

आर एम	रूपए 5 लाख तक
बी एम	रूपए 1 लाख तक

26. संविदा में प्रदत्त लिक्विडेटिड क्षतियों में छूट

आर एम रूपए 50 हजार की सीमा के अधीन 10 प्रतिशत तक)(विधि के परामर्श से)
बी एम रूपए 20 हजार की सीमा के अधीन 10 प्रतिशत तक)

27. बैड डैब्ट्स हानियों को बट्टे खाते में डालना

आर एम रूपए 5 हजार तक

28. निर्यात हेतु व्यवसाय एसोसिएट्स को ऋण / पेशगियाँ (सुरक्षा पर)

आर एम रूपए 25 लाख तक)	कार्पोरेशन के निर्यातों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनाए रखने / संवर्द्धन के लिए अनुमोदित शर्तों के साथ ऋण और पेशगियाँ प्रदान की जाएं। चूंकि इस प्रकार के बकाया ऋणों और पेशगियों की अधिकतम राशि किसी समय सम्पूर्ण कार्पोरेशन के लिए रूपए 25 करोड़ से अधिक न हो इसके लिए, इन शक्तियों का

प्रयोग कार्पोरेट कार्यालय के मुख्य महा प्रबंधक(वित्त) के परामर्श के साथ किया जाएगा।

29. बिल विपणन योजना

शून्य

30. क. बैंक एकांउट खोलना

शून्य

ख. बैंक एकांउट का प्रचालन

शून्य

31. पूंजीगत खर्चे – मूल कार्य

शून्य

32. तकनीकी और विपणन सहयोग जिसमें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता न हो ।

शून्य

33. परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों, डिजायनर आदि की नियुक्ति

शून्य

34. अधिशेष निधियों का निवेश

शून्य

35. व्यापार, व्यवसाय, स्थापना, कार्मिक, बिक्रीकर, सीमा शुल्क, आयकर और अन्य सामान्य मामलों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाऍं

क. संस्थापना / डिफैंड / कंपाउंड/ परित्याग

शाखा प्रबंधक विधि प्रभाग या परामर्शदाता सहित	आयकर, कार्मिक, स्थापना के अलावा अन्य मामलों हेतु पूर्ण शक्तियॉं
मुख्य वित्त प्रबंधक विधि प्रभाग या परामर्शदाता सहित	आयकर मामलों हेतु पूर्ण शक्तियॉं
निदेशक (कार्मिक) विधि विभाग या परामर्शदाता सहित	कार्मिक और स्थापना मामलों हेतु पूर्ण शक्तियॉं

ख. अधिवक्ताओं / एटर्नीज / सॉलिसिटर्स की नियुक्ति और परिवर्तन तथा व्यावसायिक प्रभारों और अन्य विधि खर्चों को सुनिश्चित करना / भुगतान

बी एम, विधि प्रभाग	पूर्ण शक्तियाँ	नियुक्तियाँ निदेशक(वित्त) द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएंगी। पैनल के अधिवक्ताओं को विधि शुल्क / प्रभारों का भुगतान कार्पोरेट कार्यालय द्वारा तथा वरिष्ठ वकीलों को उनके शुल्क / प्रभारों की सामान्य दरों के अनुसार किया जाएगा । (6) अधिवक्ताओं को विधि शुल्क / प्रभारों आदि का भुगतान दरों से अधिक की दरों पर पैनल के अधिवक्ताओं को निदेशक (विधि) और निदेशक (वित्त) द्वारा अनुमोदन के अनुसार होगा ।

ग. स्टैंम्प ड्यूटी, कोर्ट शुल्क आदि का भुगतान

बी एम	विधि प्रभाग सहित	पूर्ण शक्तियाँ

ग. प्लीडिंग्स, विधिक प्रलेखों और इनसे संबंधित मामलों पर हस्ताक्षर करना और सत्यापन ।

बी एम/सीएमए/सीएफएम	**पूर्ण शक्तियाँ	जहाँ डीएलए की तैनाती नहीं है
एमएम/डीएल	**पूर्ण शक्तियाँ केवल बांड और गारंटियों पर हस्ताक्षर करना और निष्पादन करना ।	वहाँ एएलए द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा ।

** इसमें निम्नलिखित शक्तियाँ शामिल हैं –

- प्लेंन्टस, लिखित विवरिणकाएँ, अपीलों के ज्ञापन और अन्य प्लिडिंग्स, वकालतनामा, हलफनामा, विविध आवेदन और अन्य इसी प्रकार के कागजातों पर हस्ताक्षर करना, सत्यापन करना, उदघोषणा करना और /या इनकी पुष्टि करना, संस्थापना से पहले नोटिस जारी करने और इन पर हस्ताक्षर करना तथा वादों के जारी रहने के दौरान, अपीलों,

संशोधनों, समीक्षाओं, मध्यस्थताओं और/या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थापित/डिफेंड की जाने वाली कानूनी कार्रवाइयों पर हस्ताक्षर करना और जारी करना ।

- करार पर हस्ताक्षर करना और निष्पादन करना, पट्टा डीड, लाइसेंस करार, बंधीकरण प्रक्रिया, मोर्टगेज प्रक्रिया, लियेन पत्र, क्षति-पूर्ति बांड, वचन पत्र, गिरवी रखना और अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत इसी प्रकार के कागजात तथा अन्य आदि कोई कागजात और आवेदन जिन पर हस्ताक्षर करना और निष्पादन करना आकस्मिक और/या इसके लिए आवश्यक है ।
- सभी विवरणिकाओं पर हस्ताक्षर करना और सत्यापन करना जो नियमों के अनुसार स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा की जानी अपेक्षित है ।
- सभी प्रतिभूतियों – सरकारी प्रतिभूतियों और शीर्ष के कागजातों सहित जो स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के नाम पर या उसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत के अनुसार रखे गए हैं, उन पर हस्ताक्षर करना और उनको निपटाना ।
- कार्पोरेशन की ओर से कार्पोरेशन की बैंक गारंटिया या कोई अन्य दावों को रद्द करना / लागू करना ।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त संबंध में अन्य सभी गतिविधियाँ करना ।

36.क देश के भीतर यात्रा करना

आर एम बी एम	पूर्ण शक्तियाँ उनको रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों हेतु यात्रा और ठहरना, हकदारी के अनुसार	यात्रा टिकटों के रद्दीकरण पर लगाए गए प्रभारों की मंजूरी की शक्ति शामिल है ।

ख. यात्रा का साधन/ श्रेणी में छूट

आर एम पूर्ण शक्तियाँ

ग. हकदारी के परे होटलों में ठहरने के लिए छूट जहाँ एसटीसी के पैनल के होटल हैं ।

बी एम शाखाओं में तथा कार्पोरेट	पूर्ण शक्तियाँ, क्षेत्र का भ्रमण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में	जहाँ आवासीय व्यवस्था

कार्यालय में नयाचार प्रबंधक

हकदारी के अनुसार उपलब्ध नहीं है ।

घ. हकदारी के परे होटलों में ठहरने के लिए छूट, जहाँ एसटीसी के पैनल के होटल नहीं हैं ।

आर एम शाखाओं में तथा कार्पोरेट कार्यालय में नयाचार प्रबंधक	पूर्ण शक्तियाँ, क्षेत्र का भ्रमण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में	जहाँ आवासीय व्यवस्था हकदारी के अनुसार उपलब्ध नहीं है।

ग. 30 दिनों से परे पूर्ण डीए की मंजूरी

निदेशक (शाखाएँ)	**पूर्ण शक्तियाँ**

37 एसटीसी, मुम्बई, (3) हेतु आईएसओ 9000 शृंखला सत्यापन

आर एम	पूर्ण शक्तियाँ	आरएम के समक्ष प्रस्ताव बीएसी के माध्यम से किया जाएगा ।

नोट – इस अनुसूची के भाग के रूप में टिप्पणियाँ संलग्न हैं ।

अनुसूची – ए (2) पर लागू टिप्पणियाँ

1. इस अनुसूची के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नीतियों और पद्धतियों, संबंधित नियमों और विनियमावली, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों और कार्पोरेशन के एसोसिएशन के ज्ञापन और अनुच्छेद के अनुसार किया जाएगा ।

2. असरणीबद्ध आयातों के संबंध में क्षेत्र आयात मदों के संदर्भ में विशेष रूप से उनके क्षेत्र में स्थित उद्योगों द्वारा अपेक्षित के अनुसार स्वतंत्र होगा जो निम्नलिखित मदों को छोड़कर जो केवल कार्पोरेट कार्यालय द्वार ही हैंडल की जाएंगी, रूपए 1 करोड़ प्रत्येक मामले में की सीमा के अधीन होगा:'-
    - सरणीबद्ध मदें सरकारी लेखे पर खाद्य तेलों चीनी आदि जैसी मदों सहित।
    - दालें
    - कैरोसीन तेल
    - लौह एवं अलौह धातु
    - उर्वरक
    - राज्य सरकार की मांगे (सामान्य आयात)
3. इस अनुसूची में दर्शायी गयी शक्तियों की सीमा प्रत्येक मामले में अन्यथा रूप से उल्लेखित को छोड़कर लागू होंगी ।

4. * ये शक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसोसिएट वित्त की सहमति से प्रयोग की जाएंगी ।

जब भी शाखा प्रबंधक और वित्त के मध्य कोई मतभेद हो, तो इस मामले को संबंधित निदेशक के पास भेजा जाएगा जो इसे निदेशक(वित्त) के साथ सुलझाएँगे । इस प्रकार के सभी मामलों में वित्त के विचारों की वर्बेटिज्म प्रति भी भेजी जानी चाहिए । तथापि, आपातकालीन मामलों में शाखा प्रबंधक स्वयं ही निर्णय ले सकता है ।

- परिपत्र संख्या 159 दिनांक 5.1.99 द्वारा संशोधित ।

जो पूर्णतया अभिलेखित कारणों के अन्तर्गत कार्पोरेट कार्यालय को तत्काल रिपोर्ट करने तथा संबंधित निदेशक और संबंधित निदेशक वित्त के कार्योत्तर अनुमोदन के अधीन होगा ।

5. एसोसएिट वित्त इस अनुसूची के उद्देश्य हेतु वित्त प्रबंधक होगा जो नीचे दर्शाए गए स्तर से कम का नहीं होगा:-

सक्षम प्राधिकारी	**एसोसिएट वित्त**
अध्यक्ष / सीओएम	निदेशक वित्त
निदेशक	मुख्य महा प्रबंधक वित्त
मुख्य महा प्रबंधक/महा प्रबंधक	मुख्य वित्त प्रबंधक
वे शाखाएँ जहाँ वित्तीय कार्य किसी प्रबंधक द्वारा उसके नेतृत्व में किए जाते हैं जो वित्त प्रबंधक से नीचे के स्तर का हो ।	वित्त कार्यों के प्रमुख
अन्य	वित्त प्रबंधक

वित्त प्रभाग में निधारित रैंक के प्रबंधकों के दौरे पर होने की वजह से अनुपस्थिति या अवकाश की वजह से अनुपस्थिति होने पर वित्त के सहमति स्थानापन्न प्रबंधक (वित्त) से आवश्यक मामलों में यदि कोई हो अथवा अगले निचले स्तर के प्रबंधक से इस प्रकार की अनुमति प्राप्त की जा सकती है जो कि इस बात के अधीन होगा कि इस प्रकार के सभी मामले उनकी वापसी पर उपयुक्त रैंक के वित्त प्रबंधक के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाएगा ।

6. मुख्य महा प्रबंधक / महा प्रबंधक / मु.विप.प्रबं./विप.प्रबंधक इनमें समकक्ष रैंकों के सभी प्रबंधक शामिल होंगे ।
7. निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की गयी शक्तियाँ उच्च प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं ।
8. एक प्रचालन प्रबंधक उन मामलों में जहाँ वित्त सहमति की अपेक्षा नहीं है, वित्त की सलाह ले सकता है । तथापि, इस प्रकार के मामलों में अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी प्रचालन प्रभाग की होगी ।
9. जहाँ निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं निम्नतम (उच्चतम) निविदा को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसके कारण दर्ज किए जाएंगे तथा अगले उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाएगा जब तक कि खरीद (बिक्री) नीति अन्यथा रूप से प्रावधान नहीं करती ।

10. शाखा प्रबंधक के दौरे पर या अवकाश पर होने की स्थिति में अगला वरिष्ठ और उनकी भी अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम प्रबंधक आवश्यक मामलें के संबंध में शाखा प्रबंधक को दी गयी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो रेटिफिकेशन हेतु उसकी वापिसी पर शाखा प्रबंधक को रिपोर्ट करने के अधीन होगा ।
11. शाखाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव जिनमें कार्पोरेट कार्यालय द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है, उनमें स्पष्ट रूप से वित्त में प्रबंधकों के नाम और पदनाम दर्शाए जाएंगे जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है ।
12. विदेशी कार्यालयों में तैनात किए गए प्रबंधकों की शक्तियाँ विदेशी कार्यालयों के मैनुअल में अलग से प्रदर्शित की गयी हैं ।
13. (6) इन शक्तियों में एलसी सहित सीएडी शर्तें दोनों पर संविदाओं का सम्पन्न किया जाना शामिल किया जाएगा । सामान्यतया भुगतान शर्तों में अपरिहार्य एलसी हेतु प्रावधान होगा । सीएडी शर्तों के मामले में निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।
14. (7) क्षेत्रीय प्रबंधकों की अवधारणा को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई शाखाओं के शाखा प्रबंधक इन शाखाओं के व्यवसाय सौदों के संबंध में आरएम की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

संशोधन का संदर्भ

1. परिपत्र संख्या 118 दिनांक 20.6.1995 द्वारा संशोधित
2. परिपत्र संख्या 138 दिनांक 21.3.1997 द्वारा संशोधित
3. परिपत्र संख्या 141 दिनांक 2.6.1997 द्वारा संशोधित
4. परिपत्र संख्या 145 दिनांक 26.6.1997 द्वारा संशोधित
5. परिपत्र संख्या 146 दिनांक 22.7.1997 द्वारा संशोधित
6. परिपत्र संख्या 134 दिनांक 6.8.1996 द्वारा संशोधित
7. सीएमडी का परिपत्र संख्या 01/97 दिनांक 18.11.1997 द्वारा संशोधित
8. परिपत्र संख्या 159 दिनांक 5.1.1999 द्वारा संशोधित
9. परिपत्र संख्या 164 दिनांक 23.9.1999 द्वारा संशोधित
10. परिपत्र संख्या 168, 180 एवं 184 दिनांक 7.01.01, 07.11.01 और 24.2.03 द्वारा संशोधित
11. परिपत्र संख्या 201 दिनांक 02.9.2011 द्वारा संशोधित

- परिपत्र दिनांक 11.9.08 द्वारा संशोधित

(ए.के.गुप्ता)
कम्पनी सचिव